

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुई

२२-३-२०

पत्रावली डाकबाँडे इलेक्ट्रिकल
 प्राचीन इपन/ प्राचीन का पत्ता रमादी
 प्राचीन फूड स्वीट्स बिफर जाहाई
 बिस्वुत निवाप पुस्तक से मित्रा
 जाकिर शाहीम पत्रावली बिफर
 काया/ प्रकरण के नाम शुभम इकर
 मन्वद से कम है लखुबाद व कामील
 प्रविण्ड लेख अठारह

म. खण्ड अधिकारी
 कोटा (जि.पं.)



प्रायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

प्राचीन अधिकारी का नाम :-

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)

करण संख्या :-

22 / 2020

प्रारंभ दिनांक :-

04.09.2020

समाप्त दिनांक :-

22.03.2021

उनवान

कपिल कुमार पुत्र गिरधारी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील दौसा जिला दौसा

जितेन्द्र पुत्र प्रभु दयाल

फूलवती पत्नि गिरधारी

बद्री दत्तक पुत्र ग्यारसा

रमेश पुत्र रामप्रताप

राकेश पुत्र प्रभु दयाल

रामकरण पुत्र रामप्रताप

राहुल पुत्र गिरधारी

लोकेश पुत्र प्रभु दयाल

10 शम्भु दयाल पुत्र रामप्रताप

11 सुनील पुत्र प्रभु दयाल


समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील दौसा जिला दौसा

12 गुलाब पत्नि मूलचन्द्र जाति गुर्जर

13 तीजा पत्नि रामराज जाति गुर्जर

समस्त निवासी ग्राम बाणे का बरखेडा तहसील दौसा

(प्रार्थीगण)



उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

4

बनाम

स्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

(अप्रार्थी)

स्थिति :- श्री सत्य नारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अ० धारा 128 एल.आर.एक्ट

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि ग्राम बड़ी रावास में स्थित कृषि भूमि खसरा 301 रकबा 0.04 है० खसरा नम्बर 302 रकबा 0.54 है० खसरा नम्बर 306 रकबा 0.30 है० खसरा नम्बर 307 रकबा 0.02 है० खसरा नम्बर 308 रकबा 0.36 है० खसरा नम्बर 309 रकबा 0.10 है० खसरा नम्बर 310 रकबा 0.69 है० खसरा नम्बर 312 रकबा 0.03 है० खसरा नम्बर 313 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 9 कुल रकबा 2.12 है० भूमि स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते हैं। प्रार्थीगण अपनी फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ जब भी लगाते हैं, तो पड़ोसी खातेदारान उसको तोड़ देते हैं व प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते हैं।




उप
जिला अधिकारी
दौसा (राज.)


5

प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे व
दौसी खातेदार के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नही हो। विवाद
सुलझाने के लिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का
न्यायालय के माध्यम से सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहते है।
प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2020 को
कर चुका है, जिसकी मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण की
उक्त भूमि की पत्थरगढी करने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा व अडचन
नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करने के
आदेश अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त पत्थरगढी प्रार्थना-पत्र न्यायालय मे पेश
करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार दौसा
को जरिये सम्मन तलवी की गई। नायब तहसीलदार दौसा के द्वारा
पत्थरगढी प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया हैं, जिसमे अंकित किया गया
है, कि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाने में राजस्थान सरकार को
कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता को पत्थरगढी प्रार्थना-पत्र पर सुना गया।
पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को अवलोकन किया गया।
प्रार्थीगण का पत्थरगढी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।
अतः प्रार्थीगण का पत्थरगढी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की ग्राम बड़ी
बैरावास में स्थित कृषि भूमि खसरा 301 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 302
रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 307






उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(C)

रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 309
रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 312
रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.04 है0, कुल कित्ता 9 कुल
रकबा 2.12 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अनुमयी
वारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढ़ी की जाये तथा
प्रीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु
सीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया
गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।




संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
(दौसा जिला)